

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1524/2011/चित्तौड़.

मैसर्स फूलचन्द धाकड़,
बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-पंचम, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/5/2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 3/वैट/2010-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.5.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-पंचम, मुख्यालय निम्बाहेड़ा, वृत्त-चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.3.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के वर्ष 2007-08 के कर निर्धारण के वक्त संविदा कार्य में प्रयुक्त माल की खरीद से सम्बन्धित प्रस्तुत बिल विक्रेता द्वारा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जारी होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इनके आधार पर आई.टी.सी. अस्वीकार करने हेतु सुनवाई का अवसर दिये जाने पर अपीलार्थी ने वैट इन्वॉयस प्रस्तुत कर आई.टी.सी. चाहा, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने विक्रेता वैट व्यवसाई द्वारा इन बिलों को वैट-8 के विवरण में इन्हें उपभोक्ताओं को जारी करना बताया जाने के कारण रुपये 2,35,925/- पर रुपये 29,491/- आई.टी.सी. अस्वीकार करते हुए ब्याज रुपये 4867/- आरोपित किया। इसके अलावा तिमाही विवरण पत्र प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रुपये 2000/- आरोपित कर कुल रुपये 26,358/- की मांग सृजित की। इस आदेश के विरुद्ध दायर अपील को अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश से अस्वीकार करने के विरुद्ध इस अपील में चुनौती दी गयी है।

लगातार.....2

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।


अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के जवाब में प्रस्तुत वैट इन्वॉयसेज के आधार पर आई.टी.सी. अस्वीकार कर भूल की है। प्रस्तुत वैट बिलों के विषय में बिना जांच अस्वीकार किया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसे आदेश की पुष्टि कर अपीलीय अधिकारी द्वारा भी त्रुटि की गई है। इसलिए आई.टी.सी. स्वीकार कर आरोपित ब्याज अपास्त किये जाने सम्बन्धी अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के विषय में बिना कोई नोटिस जारी किये शारित आरोपित की, जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी यथावत रखकर भूल की है। अतः अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वक्त कर निर्धारण अपीलार्थी द्वारा प्रथमतः अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जारी बिलों में आई.टी.सी. का समायोजन चाहा था, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के प्रत्युत्तर में अपीलार्थी द्वारा वैट इन्वॉयस प्रस्तुत कर आई.टी.सी. चाहा गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश में अंकित किया है कि ये बाद में प्रस्तुत इन्वॉयसेज वैट-10ए के साथ नहीं प्रस्तुत की गई थी तथा विक्रेता व्यवहारी द्वारा भी इन वैट बिलों को विक्रय प्रपत्र वैट-8 में उपभोक्ताओं को जारी बताया गया है। पत्रावली के अवलोकन पर इस आशय की कोई जांच किया जाना प्रतीत नहीं होता है। यदि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट बिलों का सत्यापन विक्रेता व्यवहारी के रेकॉर्ड से होता है तथा वर्णित वैट राजकोष में जमा होना पाया जाये तो अपीलार्थी को आई.टी.सी. का समायोजन दिया जा सकता है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 18(1) में आई.टी.सी. के संगणन के प्रावधान हैं। इस नियम में विहित शर्तों के आधार पर आई.टी.सी. दिया जा सकता है। नियम 18(1) इस प्रकार है :-



लगातार.....3

18. Computation of input tax credit.

(1) The extent of input tax credit available to a registered dealer, for a tax period, shall be equal to the amount of tax paid on purchases in the State as evident from the Original VAT invoice, and where such invoice has been lost or destroyed, on the basis of duplicate copy thereof issued to him in accordance with sub-rule (4) of rule 38, subject to the other provisions of this rule and the following conditions:-

(a) that such dealer has maintained a true and correct separate account of his purchases against VAT Invoices in Form VAT-07 and submits the summary thereof in Form VAT-07 A, along with return prescribed in rule 19.


(b) that such dealer has maintained a true and correct separate account of his sales in Form VAT-08 A, along with return prescribed in rule 19.

इस सम्बन्ध में अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण उक्त निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है।

अपीलार्थी पर अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति हेतु अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी किया जाना पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। अतः शास्ति अपास्त की जाकर अपीलीय आदेश के विरुद्ध दायर अपील स्वीकार की जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
28/5/14